



भारत सरकार/ **Government of India**
 वित्त मंत्रालय/ **Ministry of Finance**
 राजस्व विभाग/ **Department of Revenue**
 केन्द्रीय कर प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, बेंगलूर अंचल,
 केन्द्रीय राजस्व भवन, क्वीन्स रोड, बेंगलूर-560001

**OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF CENTRAL TAX,
 BENGALURU ZONE, C.R. BUILDING, QUEEN'S ROAD, BENGALURU-560001.**

Office email :- ecbz-excise@nic.in

Section email :- bzpecco-technical@gov.in

C.No. GCCO/TECH/PN/9/2020-S AND I

व्यापार सूचना संख्या. 02 / 2026
Trade Notice No. 02 / 2026

दिनांक/ Date: As per E-signature

विषय: व्यापार और उद्योग जगत को जीएसटी अधिकारियों के प्रतिरूपण के संबंध में सलाह और निरीक्षण/तलाशी कार्यवाही के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया - के संबंध में

Subject: Advisory to Trade and Industry regarding impersonation of GST officers and procedure to be followed during inspection / search proceedings – reg

इस जोन में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें कुछ बेईमान व्यक्तियों ने कथित तौर पर केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों के रूप में खुद को पेश किया है।

Some incidents have been observed in this Zone that certain unscrupulous persons have allegedly impersonated as Central GST officers.

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि सीजीएसटी विभाग के अधिकारी

It is hereby clarified that officers of the CGST department

- नकद या व्यक्तिगत बैंक खातों, यूपीआई आईडी, वॉलेट या अन्य अनौपचारिक माध्यमों से किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं मांगते हैं
Do not demand any payment in cash or through personal bank accounts, UPI IDs, Wallets or other unofficial modes
- फोन कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप या व्यक्तिगत ईमेल आईडी के माध्यम से कोई भी व्यक्तिगत या संवेदनशील जानकारी नहीं मांगते हैं।
Do not seek any personal or sensitive information over phone calls, SMS, WhatsApp or personal email IDs
- वे आधिकारिक तौर पर केवल जीएसटी कॉमन पोर्टल (www.gst.gov.in), आधिकारिक विभागीय ईमेल आईडी (जो "@gov.in" पर समाप्त होती हैं) या विधिवत जारी किए गए नोटिस/समन के माध्यम से ही संवाद करते हैं, जिन पर दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) अंकित हो, जहाँ भी लागू हो।

The CGST officers communicate officially only through the GST common portal (www.gst.gov.in), official departmental email IDs (ending with "@gov.in"), or through duly issued notices / summons bearing Document Identification Number (DIN), wherever applicable

3. निरीक्षण, तलाशी और ज़बती की कार्यवाही केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 67 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अधीन है। ऐसी कार्यवाही केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में विधिवत अधिकृत "उचित अधिकारी" द्वारा ही की जा सकती है। अधिकृत अधिकारी को वैध सरकारी फोटो पहचान पत्र के साथ लिखित प्राधिकरण पत्र रखना आवश्यक है, जिसमें अधिकारी का नाम और पदनाम, निरीक्षण/तलाशी किए जाने वाले परिसर का नाम और पता तथा पंजीकृत व्यक्ति का जीएसटीआईएन (जहां लागू हो) निर्दिष्ट हो।

Inspection, Search and Seizure proceedings are under Section 67 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and the rules made thereunder. Such proceedings can be conducted only by the "proper officer" duly authorized in writing by the competent authority. The authorized officer is required to carry a valid government photo ID card along with the written authorization

specifying the name and designation of the officer (s), name and address of the premises to be inspected / searched and the GSTIN of the registered person, wherever applicable.

4. सभी पंजीकृत व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि निरीक्षण या तलाशी के लिए प्रवेश की अनुमति देने से पहले, वे प्रत्येक अधिकारी के आधिकारिक फोटो पहचान पत्र और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लिखित प्राधिकरण की पुष्टि कर लें। यदि अधिकारियों की पहचान या प्राधिकरण की प्रामाणिकता के संबंध में कोई संदेह हो, तो करदाता तत्काल संबंधित क्षेत्राधिकार के प्रधान आयुक्त/केंद्रीय कार्यालय से या अतिरिक्त/संयुक्त केंद्रीय कर आयुक्त (सतर्कता) पीसीसीओ, बेंगलुरु केंद्रीय कर (080-22867093) से संपर्क कर सकते हैं। विभाग द्वारा करदाता को भेजे गए किसी भी आधिकारिक संचार को एक विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) द्वारा सत्यापित किया जाता है, जिसे <https://esanchar.cbic.gov.in/DIN/DINSearch> पर देखा जा सकता है। व्यापारियों को निरीक्षण/तलाशी प्राधिकरण पर उल्लिखित डीआईएन को सत्यापित करने की सलाह दी जाती है। व्यापार जगत को निरीक्षण/तलाशी प्राधिकरण पर उल्लिखित डीआईएन (DIN) को सत्यापित करने की सलाह दी जाती है। यह भी सूचित किया जाता है कि ई-ऑफिस प्रणाली में सार्वजनिक विकल्प के माध्यम से जारी किए गए दस्तावेजों के लिए अलग से दस्तावेज़ पहचान संख्या (DIN) की आवश्यकता नहीं होती है। ई-ऑफिस द्वारा उत्पन्न अद्वितीय "जारी संख्या" ही वैध डीआईएन है और इसे <https://verifydocument.cbic.gov.in> पर ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

All registered persons are advised that before permitting entry for inspection or search, they may verify the official photo ID card of each officer and written authorization issued by the competent authority. In case of any doubt, regarding the identity of the officers or authenticity of the authorization, the taxpayer may immediately contact the respective jurisdictional office of the of Principal Commissioner / Commissioner of Central Tax or Additional / Joint Commissioner of Central Tax (Vigilance) PCCO, Bengaluru Central Tax (080-22867093). Any official communication by the Department to the taxpayer is always validated with a unique Document Identification Number (DIN) which can be verified at <https://esanchar.cbic.gov.in/DIN/DINSearch>. Trade is advised to verify the DIN mentioned on the inspection / search authorization. It is also sensitized that documents issued through the public option in the e-office system do not require a separate Document Identification Number. The unique "Issue Number" generated by e-office is valid DIN and can be verified online at <https://verifydocument.cbic.gov.in>.

5. व्यापार संघों और वाणिज्य मंडलों से अनुरोध है कि वे अपने सदस्यों के बीच इस व्यापार सूचना का व्यापक प्रचार करें ताकि जागरूकता सुनिश्चित हो सके और इस प्रकार की धोखाधड़ी की घटनाओं को रोका जा सके। इस व्यापार सूचना के संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर कृपया इस कार्यालय को सूचित करें।

Trade associations and Chambers of Commerce are requested to give wide publicity to this trade notice among their members to ensure awareness and prevent such fraudulent incident. Difficulties, if any, in respect of this trade notice may be brought to the notice of this office.

6. सभी प्रधान आयुक्तों/आयुक्तों से अनुरोध है कि वे व्यापार नोटिस की विषय-वस्तु को अपने अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों तथा अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले करदाताओं के ध्यान में लाएं।

All the Pr. Commissioners / Commissioners are requested to bring the contents of the Trade Notice to the Notice of all the officers working under their charge and taxpayers falling under your jurisdiction.

भवदीया /Yours faithfully,

(इंदिरा प्रियदर्शिनी / INDIRA PRIYADARSHINI)
अपर आयुक्त /ADDITIONAL COMMISSIONER
प्र.मु.आ.का.का., बेंगलुरु /PCCO, BENGALURU

प्रतिलिपि / Copy submitted to:

1. मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, बेंगलुरु क्षेत्र
The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone.
2. वाणिज्यिक कर आयुक्त, कर्नाटक
The Commissioner of Commercial Taxes, Karnataka.
3. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, बेंगलुरु दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और उत्तर-पश्चिम, बेलगावी, मंगलुरु और मैसूरु सीजीएसटी आयुक्तालयों को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी व्यापार संघों के बीच व्यापक प्रचार और प्रसार करने के लिए।

The Principal Commissioner/Commissioner, Bengaluru South, North, East, West and North-West, Belagavi, Mangaluru and Mysuru CGST Commissionerates, for giving wide publicity and circulating amongst all the Trade Associations falling under their jurisdiction.

4. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, लेखा परीक्षा एवं अपील आयुक्तालय

The Principal Commissioner / Commissioner, Audit and Appeals Commissionerates

5. शिकायत निवारण समिति के सभी सदस्य

All the Members of Grievance Redressal Committee

6. बेंगलुरु पूर्व सीजीएसटी आयुक्तालय, सीजीएसटी बेंगलुरु क्षेत्रीय वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ

Bengaluru East CGST Commissionerate, with request for uploading on CGST Bengaluru Zonal Website